झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–03/2023– 918 **व०प०, राँची, दिनांक–** 13/03/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002।

विषय :– मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड का Tie-in connectivity of ONGC Bokaro CBM Field into JHBDPL Network of GAIL परियोजना हेतु कुल–8.3618 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में। में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–72 दिनांक–24.01.2023 एवं पत्रांक–206 दिनांक–01.03.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे के विरूद्ध चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) विषयक प्रस्ताव के संबंध में CWLW के मंतव्य में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 13/3/2023

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–03/2023– 918 व०प०, राँची, दिनांक– 13/03/2023

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13/3/2023
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–03/2023– 918 व०प०, राँची, दिनांक– 13/03/2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/वरिष्ठ प्रबंधक (निर्माण), गेल (इण्डिया) लि0, 5th Floor, North Wing of Eastern Block at Mecon Head Office Complex, डोरण्डा, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13/3/2023
उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 8.3618 ha of Forest Land for construction of Tie-in connectivity of ONGC Bokaro CBM filed into JHBDPL Network of GAIl Bokaro Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 8.3618 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no--918--- dated--13/03/2023--.

13/03/2023

Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 206 दिनांक :– 01/03/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :– **मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड का Tie-in Connectivity of ONGC Bokaro CBM Field into JHBDPL Network of GAIL परियोजना हेतु कुल 8.3618 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. विभागीय पत्रांक 523 दिनांक 14.02.2023.
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 447 दिनांक 01.03.2023.
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 269 दिनांक 01.03.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 72 दिनांक 24.01.2023 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारीत किया गया था। उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 2 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। विभागीय पत्र के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 447 दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

क्र0 सं0	पृच्छा	अनुपालन
1	FRA के तहत् निर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	उपायुक्त, बोकारा के ज्ञापांक 297 दिनांक 24.02.2023 द्वारा परियोजना में सन्निहित कुल 8.3618 हे0 वनभूमि का वनाधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत् प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र मे निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। ग्राम सभा की कार्यवाही से सबंधित प्रतिवेदन संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।
2	CWLW, झारखण्ड का मंतव्य।	प्रस्तावित पाईपलाईन बिछाने संबंधी कार्यों एवं वृक्षों पातन के फलस्वरूप परियोजना क्षेत्र के Avi-Fauna, Reptiles एवं Herbivores के आवासन एवं आवागमन तात्कालिक तौर पर बाधित होंगे। इसके प्रभाव को कम करने हेतु Site Specific Wildlife Management Plan की आवश्यकता होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, (CWLW) झारखण्ड के पत्रांक 269 दिनांक 01.03.2023 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन/मंतव्य की प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 1164
02 MAR 2023
झारखण्ड, राँची।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

01.03.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।